न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 46/2020 जिला भीलवाड़ा

1. विशाल कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल जैन(महाजन) निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम्

1. सुशीला देवी पत्नि स्व0 जगदीश जाति जोशी(ब्राहम्ण) निवासी बिजौलिया हाल निवासी देवरिया बालाजी रोड़ भीलवाड़ा।
2. अनुपत पुत्र स्व0 जगदीश जाति जोशी(ब्राहम्ण) निवासी बिजौलिया हाल निवासी देवरिया बालाजी रोड़ भीलवाड़ा।
3. अनुराग पुत्र स्व0 जगदीश जाति जोशी(ब्राहम्ण) निवासी बिजौलिया हाल निवासी देवरिया बालाजी रोड़ भीलवाड़ा।
4. पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 मुरलीधर जाति जोशी निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
5. सत्यनारायण पुत्र स्व0 मुरलीधर जाति जोशी निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
6. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 मुरलीधर जाति जोशी निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
7. सुशीला पुत्री स्व0 मुरलीधर जाति जोशी निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
8. उमा पुत्री स्व0 स्व0 मुरलीधर जाति जोशी निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
9. राजेश कुमार पुत्र सूरजमल लसोड निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
10. नीता पत्नि ओमप्रकाश विजयवर्गीय निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया भीलवाड़ा।
11. तहसीलदार बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा दिनांक 03.08.2016 जो प्रकरण संख्या 07/2016 उनवान विशाल बनाम जगदीश में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री जयकुमार जैन(अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः– श्री राकेश खुराना

राजकीय अभिभाषकः–उपस्थित

निर्णय दिनांकः–06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मुरलीधर जोशी को ग्राम मण्डोल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 124 [illegible] बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.10.1[illegible] को आवंटित की गई थी। मुरलीधर वर्तमान रेस्पोडेंट नम्बर 4,5,6,7,8 के पिता और 2 व [illegible] के दादा तथा 1 के ससुर लगते थे। अपीलांट के अनुसार मुरलीधर जोशी को जो भूमि आवंटित की गई थी, उस समय से उसके पिता का एवं उनके बाद अपीलांट का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा था। अपीलांट के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में उक्त आवंटन के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं धारा 82, 101 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में अपील दर्ज करवायी अपील को 7/2016 नम्बर दिय गया। उक्त अपील को जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2016 को बाद सुनवाई अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए आवंटन को बहाल रखा। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय से रूष्ट होकर वर्तमान अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई–

1. आवंटित भूमि उसके पिता की खातेदारी के खसरा नम्बर 437/124 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि के पास स्थित है एवं मुरलीधर को आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता बाबूलाल का कब्जा एवं काश्त आवंटन से पूर्व लगातार चला आ रहा है तथा अभी भी मौके पर कब्जा व काश्त है।

2. आवंटित भूमि पर मुरलीधर को कभी कब्जा नहीं सौंपा गया और न ही उसमें काश्त की।

3. मुरलीधर के पक्ष में किये गये इकरारनामा,दखलनामा, सुपुर्दगी मौका पर्चा, खसरा नापा एवं नक्शाट्रेस जो कागजी तौर पर तैयार किये गये है और कानूनी तौर पर अवैध है तथा इनसे मुरलीधर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

4. मुरलीधर बोनाफाइड कृषक की श्रेणी में नहीं आता है और उसे भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है।

5. कब्जेकाश्त के अभाव में उसे खातेदारी नहीं दी जा सकती थी। आवंटी की मृत्यु को करीब 15 वर्ष हो चुके है तथा खातेदारी का नामातंरण संख्या 1138 दिनांक 30.09.2015 को खोला गया। जो कानूनी प्रावधान के विपरीत है।

6. विवादित भूमि के विक्रय जो आवंटी द्वारा किये गये है वे सभी विक्रय पत्र अवैध है। इन विक्रय पत्र के आधार पर खरीददारो को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

7. आवंटन नियम 5,7 एव 11 बाबत कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई। ना कोई उदघोषणा जारी की गई। ना ही आवंटी की पात्रता देखी गई और ना ही आवंटी के आवंटन से पूर्व कब्जा देखा गया। अपील स्वीकार की जायें एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 03.08.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 12.10.1989 निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 एव 32 राजस्थान रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील तत्समय आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दिनांक 16.08.2016 को प्रस्तुत की गई थी तथा राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 क अनुसरण में न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान रेस्पोडेंट के वकील अनुपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि राजकीय कर्मचारी को भूमि आवंटित की गई है। बाद में कहा कि वह रिटायर्ड गिरदावर थे तथा वह बोनाफाइड कृषक नहीं थे। कब्जा हमारा था। अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र उनके [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बिन्दु बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2016 का है। तत्समय अपीलांट द्वारा दिनांक 16.08.2016 को अपील आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में प्रतुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17,32 राजस्थान रेवन्यू कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 12.10.89 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। जिसे पत्रावली पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। क्योकि प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.10.89 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा इस बाबत अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट को उक्त आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी के अनुसार विवादित भूमि पर उसका कब्जाकाश्त है। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित रखी जाये तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति रखी जायें। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने कब्जेकाश्त बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपीलांट की हैसियत एक अतिक्रमी से ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी का नहीं माना जा सकता है। स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है।

कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 में पात्रता एवं अलॉटमेंट की प्राथमिकता का जिक्र किया गया तथा नियम 13 में एडवाइजरी कमिटी के परामर्श से आवंटन करने का जिक्र किया गया। नियम 5 में अनाधिवासीत भूमियों की सूची बनाना तथा नियम 7 में उदघोषणा जारी किया जाने बाबत विवरण दिया हुआ है।

आवंटी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। यह आवेदन पत्र मुरलीधर जोशी द्वारा हस्ताक्षरित है। उक्त आवेदन पत्र पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थी मुरलीधर जोशी बिजौलिया का निवासी है। प्रार्थी सेवानिवृत भू–अभिलेख निरीक्षक है। प्रार्थी के नाम पटवार मण्डल बिजौलिया में भूमि दर्ज नहीं है। प्रार्थी का मुख्य पेशा खेती है। प्रार्थी कृषि हेतु भूमि आवंटन चाहता है। इस रिपोर्ट के बाद पटवारी ने लिखा है कि आवेदक ग्राम मण्डोला के खसरा नम्बर 124 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा में भूमि आवंटन चाहता है। आदेश पर आवंटन कमिटी के चार सदस्यो के हस्ताक्षर है–सरपंच, तहसीलदार, विकास अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी। कमिटी के द्वारा ग्राम मण्डोल के खसरा नम्बर 124 में 5 बीघा भूमि आवंटित की है। दिनांक 20.04.1990 को इकरारनामा पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है। दखलनामा भी दिनांक 20.04.1990 को दिया गया है। जिस पर मुरलीधर के भी हस्ताक्षर है। उक्त दखलनामें के अनुसार पूर्व में रतनलाल की भूमि ,पश्चिम में बाबूलाल महाजन, उत्तर में नाला और दक्षिण में सीमा बिजौलिया बतायी गई है। सुपुर्दगी मौका पर्चा दिनांक 20.04.1990 को दिया गया है। इसी प्रकार खसरा नो तोड़ ग्राम मण्डोल पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित है। इस पर आवंटी का नाम मुरलीधर आराजी नम्बर 124 रकबा 5 बीघा अंकित है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार पटवारी द्वारा आवंटित [illegible] मुरलीधर को दिनांक 20.04.1990 को नाप कर सुपुर्द कर दी गई है। नक्शाट्रेस में आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 571／124 बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण संख्या 439 से खसरा नम्बर 124 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा में से 26／1 बिस्वा खसरा मगरी बिलानाम सरकार में से आवंटी मुरलीधर को आवंटित भूमि मिसल नम्बर

2536/89 के अनुसरण में अतिरिक्त तहसीलदार बिजौलिया द्वारा दिनांक 18.10.90 को स्वीकृत किया गया। इस बाबत मुरलीधर को गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना बताया। विरासती नामातंरण संख्या 732 दिनांक 21.02.2005 से विवादित भूमि मुरलीधर के बजाय जगदीश,पुरूषोत्तम, सत्यनारायण,ओमप्रकाश,सुशील,उमा, मुरलीधर,ललिता पत्नि मुरलीधर जोशी के नाम दर्ज कर ली गई है।

नामातंरण संख्या 1129 दिनांक 30.09.2015 से खातेदारी दर्ज करना पाया जाता है तथा नामातंरण संख्या 1133 दिनांक 20.10.2015 से ललिता का नाम हटाया गया। नामातंरण संख्या 1040 दिनांक 05.01.2016 से आवंटित भूमि 5 बीघा में से हिस्सा 5/9 राजेश कुमार पिता सुरजमल लसोड़ बिजौलिया के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा नामातंरण संख्या 1141 दिनांक 05.01.2016 से आवंटित 5 बीघा भूमि मे से हिसा 5/18 नीता विजयवर्गीय पति ओमप्रकाश विजयवर्गीय के नाम दर्ज हुई।

आवंटी के कब्जेकाश्त के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली ग्राम मण्डोल खसरा गिरदावरी 2062–65 के अनुसार विवादित भूमि पर आवंटी मुरलीधर संवत 2062 खरीफ में तिल बोया जाना पाया जाता है। पटवारी द्वारा आवंटी मुरलीधर को दिनांक 20.04.1990 को कब्जा सौंपा जाना पाया जाता है। अतः आवंटी के कब्जे एवं काश्त बाबत कोई शंका शेष नहीं रहती है।

आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता बाबूलाल जैन के कब्जे बाबत कोई दस्तावेज यथा 91 के नोटिस अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में अपीलांट की इस बात को नहीं माना जा सकता है कि आवंटित भूमि पर पहले उसके पिता का और बाद में उसका कब्जा है। अपीलांट द्वारा आवंटित खसरा नम्बर पर अपना कब्जा बताया है। मगर इस खसरा नम्बर 124 का रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा है। इसमें से मात्र 5 बीघा भूमि ही आवंटी को दी गई थी। आवंटी खसरा नम्बर 124 के किस हिस्से पर काबिज था, कितने क्षेत्रफल पर काबिज था, यह उसके द्वारा नहीं बताया गया।

खातेदारी प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ छल कपट के आधार पर प्राप्त किया गया आवंटन ही निरस्त किया जा सकता है। मुरलीधर द्वारा कोई छल कपट किया जाना पत्रावली के विश्लेषण से दृष्टिगोचर नहीं होता है। उक्त आवंटन हेतु भरे गये आवेदन में बाद जांच पटवारी की जांच में यह बताया गया है कि प्रार्थी के नाम पटवार मण्डल बिजौलिया में भूमि दर्ज रिपोर्ट नहीं है।

जैसे ही आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसे राजस्थान टिनैन्सी एक्ट में सारे अधिकार प्राप्त हो जाते है। वह जमीन विक्रय कर सकता है। अब आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। परन्था बनाम पृथ्वीराज 1986 आरआरडी पेज 137 न्यायिक दृष्टांत में इस बाबत बताया गया है।

भूमि आवंटन नियमानुसार किया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा यह कहा जाना कि नियमो की पालना नहीं की गई यह उचित नहीं है। अपनी बात के समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की बात को नहीं माना जा सकता है।

समग्र विश्लेषण के बाद न्यायालय का यह मानना है कि मुरलीधर को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर भूमि आवंटित की गई थी। उसका आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त था। बाद खातेदारी खातेदार जमीन विक्रय कर सकता है। अतः अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 7/2016 उनवानी विशाल कुमार बनाम जगदीश एवं अन्य अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) निर्णय दिनांक 03.08.2016 द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested